न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00297 (329/2017) राज. उप. (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23

सरजीतसिंह पुत्र श्री इन्द्र सिह जाति रायसिख निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. शााखा प्रबन्धक ओ0बी0सी0 शाखा सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. शाखा पंबनधक एस0बी0बी0जे0 शाखा पीलीबंगा तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ –रेस्पोडेण्ट
4. महावीर पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन बहरामपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। –तरतीबी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2017 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा प्रकरण संख्या 94/2017 बअनवानी तहसीलदार बनाम सरजीत सिह

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांकः–30.10.2019

1. सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1311 रकबा 3.795 है0 भूमि महावीर पुत्र भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज। सम्वत 2050 की जमाबंदी में उक्त रकबा घग्घर व वनविभाग के नाम दर्ज है। घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी रिट 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबंधित है। वन विभाग की भूमि किसी अन्य को आवटित नहीं की जा सकती है। तथा जो भूमि घग्घर जलभराव की भूमि है वो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। इस भूमि को बिना किसी जांच के आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है अतः आवंटन को रद्द किया जावे। विचारण न्यायलाय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है। मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बगैर एवं पूर्ण जांच किये बगैर गलत दस्तावेजात के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी। भूमि की सनद खातेदारी लेते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर सनद खातेदारी जारी की थी इसलिए कयास के आधार पर रेस्पोडेण्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अहम कानूनी भूल की है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का 1983 से लगातार कब्जा काश्त है। बिना किसी तथ्य के आधार पर एवं जांच करवाये बगैर ऐसा आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रकरण पर नियम 21 के प्रावधान लागू होते है। आवंटन के विरूद्ध प्राथी को नियम 30 के प्रावधानों के विरूद्ध अपील करने का प्रावधान हैं जिसकी मियाद 30 दिन है इसलिए आवंटन आदेश अन्तिम हो चुका है जिसके विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी ने कोई कार्यवाही नहीं की है। आवंटन किस प्रकार नियम विरूद्ध है इसका कोई साक्ष्य पेश नही किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को टीसी पर आवंटन थी जो नवीनीकरण होती रही बाद में इस भूमि को टीसी धारक होने के कारण पुख्ता आवंटन की गई है। टीसी धारक होने के कारण अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि को आवंटन कराने का हकदार था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का आज भी कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि न तो घग्घर फ्लड की है व ना ही जलप्रवाह क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और न ही वन विभाग की भूमि है। यह खसरा काफी बड़ा था। यह खसरा नं. 1311 की 138 बीघा 19 बिस्वा का नही था अपितु इस खसरा नम्बर मं अन्य भूमि दर्ज थी। खसरा गिरदावरी सम्वत 1958 से यह स्पष्टतः परीलक्षित है कि खसरा नं. 1311 में 35.154 तथा इसी खसरा नं. 1311 में 137.100 है. भूमि वन विभाग, 0.025 है. धनराजसिंह पि0 मु0 भैरा, 0.417 है. चारागाह, 3.795 है. इन्द्रसिंह वल्द शंकर सिह, 3.795 हैक्टेयर जीतसिंह वल्द इन्द्र सिह तथा 3.795 हैक्टेयर अपीलाण्ट व 3.795 है. भूमि लक्ष्मणसिंह के नाम अलग अलग दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को आवंटित 3.795 है. भूमि जो खसरा 1311 में घग्घर फ्लड के नाम की भूमि में से पृथक पृख्ता आवंटित भूमि थी के जल भरा क्षेत्र को मानने मं तथ्यात्मक भूल की है। इस भूमि पर हमेशा काश्त होती रही है। घग्घर बहाव क्षेत्र से काफी दूर है। आवंटी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत भी कोई आवंटन उसी स्थिति में खारिज हो सकता है जबकिं आवंटी ने कोई तथ्य छिपाये हों। आवंटी ने कोई तथ्य नहीं छिपाये हैं। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (1) आरआरटी पेज 602, 2005 (1) आरआरटी पेज 588, 2018 (1) आरआरटी पेज 299, 2018 (2) आरआरटी पेज 1007 एचसी, 2019 (1) आरआरटी पेज 226, 2016–17 आरआरटी पेज 242 व पेज 304, 2018 (1) आरआरटी पेज 152 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1311 रकबा 3.795 है0 भूमि महावीर पुत्र भादरराम के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज। जमाबंदी सम्वत 2050 में उक्त रकबा घग्घर व वनविभाग के नाम दर्ज है। घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी रिट 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबंधित है। वन विभाग की भूमि किसी अन्य को आवटित नहीं की जा सकती है तथा जो भूमि घग्घर जलभराव की भूमि है वो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि है। इस भूमि को बिना किसी जांच के आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है अतः आवंटन को रद्द किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी के आवेदन पर विचारण न्यायालय ने ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1311 की 3.795 है. भूमि घग्घर फ्लड के नाम दर्ज होने के कारण प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि यह भूमि घग्घर एवं वन विभाग के नाम से दर्ज नहीं है लेकिन प्रश्नगत भूमि घग्घर फ्लड के नाम है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी खतौनी संवत 2050 से होती है। **प्रश्नगत भूमि घग्घर एवं वन विभाग के नाम दर्ज है एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.रिट सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी यह प्रतिबंधित है।** अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रश्नगत संवत 2050 में घग्घर विभाग के नाम दर्ज न हो। संवत 2050 से पूर्व की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने क कारण चस्पा नही होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि घग्घर फ्लड के नाम दर्ज होने के कारण तथ्यों को छुपाकर कराया गया आवंटन मानते हुए आवंटन निरस्त किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.27 12:36:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: